भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3429

13.03.2020 को उत्तर के लिए

पक्षी और पशुओं की लुप्तप्राय प्रजातियां

3429. श्री जसबीर सिंह गिल:
श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लुप्तप्राय प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए देश में इन पशु और पक्षियों की सूची बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में लुप्तप्राय पशु और पक्षियों की प्रजातियों, उनकी संख्या और उनके प्राकृतिक पर्यावासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क), (ख) और (ग) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 खतरे की स्थिति के आधार पर विभिन्न अनुसूचियों में प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है। अधिनियम, की अनुसूची-I में सूचीबद्ध प्रजातियों को उच्च कोटि की सुरक्षा प्रदान की जाती है। अधिनियम की अनुसूची-I में प्रजातियां जैसे शेर, ऐशियाई शेर, एक सींग वाला गैंडा, हाथी, ग्रेट इंडियन बसटर्ड, गांगेय डालफिन आदि सूचीबद्ध की गई हैं।

बाघ, हाथी, ऐशियाई शेर और गैंडा जैसी प्रमुख प्रजातियों की संख्या के संबंध में किया गया गत आकलन निम्नानुसार है :

बाघ: 2967 की संख्या में

एक सींग वाले गैंडे : 2973 की संख्या में

हाथी : 29964 की संख्या में

ऐशियाई शेर : 523 की संख्या में

870 संरक्षित क्षेत्र हैं (राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व)

(घ) सरकार द्वारा विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने के संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं :

i. वन्य पशुओं और उनके पर्यावासों को संरक्षित करने हेतु वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत पूरे देशभर में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करते हुए संरक्षित क्षेत्रों नामत: राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और सामुदायकि रिजर्वों के अधिसूचित किया गया है।

ii. वन्यजीवों के संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास पारि-संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) को भी अधिसूचित किया गया है।

iii. मंत्रालय, जानवरों / पक्षियों की विलुप्त हो रहीं प्रजातियों और उनके पर्यावास में सुधार लाने सहित वन्यजीवों को बेहतर संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के (डीडब्ल्यूएच) विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के तहत, राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

iv. केंद्रीय चिडियाघर प्राधिरकण (सीजेडए) पहचाने गए चिडियाघरों में विभिन्न प्रजातियों के बाह्य स्थाने संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

v. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दण्ड का प्रावधान करता है। यह अधिनियम वन्यजीव अपराध करने में प्रयोग किए गए किसी उपकरण, वाहन या हथियार को जब्त करने का उपबंध भी करता है।

vi. संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आस-पास के स्थानीय समुदाय भी संरक्षण उपायों में शामिल होते हैं जिसके लिए अनुमोदित पारि-विकास कार्यकलापों के तहत प्रोत्साहन उपाय उपलब्ध कराए जाते हैं।

*****